न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
44 / प्रा.पत्र / 2018	21.02.2018	28.10.2020

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी –प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स जिनेन्द्र किराना स्टोर, अशोक फेक्ट्री, बडानयागांव, तह0 हिण्डोली, जिला बून्दी। निवासी–अशोक फेक्ट्री, बडानयागांव, तह0 हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, मालिक, मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, शिव दास घाट की गली, रामपुरा, कोटा–324006 (राज0)। निवासी–शिव दास की गली, रामपुरा, कोटा–324006 (राज0)। –अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिवक्ता श्री शिफा उल हक उपस्थित है।

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2017 को समय 3:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु अशोक फेक्ट्री, बडानयागांव स्थित फर्म जिनेन्द्र किराना स्टोर पर पहुंचा। वहां पर श्री जिनेन्द्र कुमार जैन आ0 ज्ञानचन्द जैन विक्रेता एवं फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसके उल्लेख मौका फर्द में हैं।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 10 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम, के 4 पैकिंग नग, (4X500gm) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 280/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम के 4 नगों को पौली पैकिंग सहित ही चार–चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में एक) विभाजित किया। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1141 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ सुरेश चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1141 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक एफएसएसए/2017/487–488 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 735/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/888 दिनांक 10.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया आम का आचार, ब्राण्ड 24 केरेट, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम, मैसर्स जिनेन्द्र किराना स्टोर बडानयागांव द्वारा मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, शिव दास घाट की गली, रामपुरा, कोटा–324006 (राज0) से बिल संख्या 093 दिनांक 19.09.2017 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, शिव दास घाट की गली, रामपुरा, कोटा–324006 (राज0) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री मनोज कुमार गोयल आ0 ओमप्रकाश गोयल निवासी–शिव दास घाट की गली, रामपुरा, कोटा है। अतः इस प्रकरण में श्री मनोज कुमार गोयल आ0 ओमप्रकाश गोयल, मालिक मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, शिव दास घाट की गली, रामपुरा, कोटा को ही अन्तिम पक्षकार बनाया गया है क्योंकि इस प्रकरण में मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, शिव दास घाट की गली, रामपुरा, कोटा ही विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता फर्म है।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/36 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1–श्री जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स जिनेन्द्र किराना स्टोर, अशोक फेक्ट्री, बडानयागांव, तह0 हिण्डोली, जिला बून्दी। निवासी–अशोक फेक्ट्री, बडानयागांव, तह0 हिण्डोली, जिला बून्दी की ओर से दिनांक 30.09.2020 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार लिये गये सेम्पल आदि जांच हेतु समयावधि में नहीं भेजा गया जिससे यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि अप्रार्थी द्वारा किस मिर्च पावडर का विक्रय किया जा रहा है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सेम्पल मिसब्राण्ड हो। उक्त सेम्पल किस प्रकार मिसब्राण्ड है, परिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर तय की गई समयावधि का अनुसरण सेम्पल की जांच में किया गया है। अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है परन्तु यह उल्लेख नहीं है कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। अप्रार्थी उक्त प्रकरण में आरोपित जुर्म को अस्वीकार करता हैं। उक्त प्रकरण में मिसब्राण्डिंग का प्रकरण हैं जिसमें किसी भी जन के लिए उक्त खाद्य पदार्थ हानिकारक नुकसानदेह नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम पौली पैकिंग का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

क अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि फर्म द्वारा निर्मित मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम का सेम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था। जो जॉच में मिसब्राण्ड घोषित किया गया हैं। मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई जिससे मानव जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडता। जांच हेतु संगहित नमूना मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम पौली पैकिंग 500 ग्राम अवधि पार नहीं है। इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व अप्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 दोषी है। अप्रार्थी संख्या 2 श्री मनोज कुमार गोयल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर, ब्राण्ड–मधुरम की आपूर्ति की गई है। अप्रार्थीगण 1 व 2 का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 25,000/– (अक्षरे–पच्चीस हजार रूपये), एवं अप्रार्थी संख्या 2 को 15,000/– (अक्षरे–पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)